बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–6 / निदे0आयु0चि0के0(संधा0)–01–01 / 2017– 50

प्रेषक,

विरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी।
आयुर्वेदिक केन्द्र, रैहल (रोहतास)

पटना, दिनांक– 01·08·17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता, अन्य भत्ता एवं अन्य मदों में पूरे वर्ष के लिए कुल ₹ 16,29,000 / – (सोलह लाख उन्तीस हजार रू0) मात्र का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्दों के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल ₹1,04,82,000 / – (एक करोड़ चार लाख बेरासी हजार रू0) मात्र का आवंटन विभागीय आवंटनादेश संख्या 10 दिनांक 24 / 05 / 2017 के द्वारा दिया गया था । विभाग के अधिसूचना संख्या 1623 दिनांक 07.07.2017 के द्वारा डा0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के उपरान्त उनके द्वारा दी गयी अधियाचना के आलोक में उक्त केन्द्र के संधारण हेतु कुल ₹ 16,29,000 / –(सोलह लाख उन्तीस हजार रू0) मात्र अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है । (राशि–रू0 में)

आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल वेतन	विद्युत्त प्रभार	किराया महसूल एवं कर	कुल आवंटित राशि
रैहल (रोहतास)	6,60,000	8,70,000	60,000	5,000	15,95,000	14,000	20,000	16,29,000

(कुल सोलह लाख उन्तीस हजार रू0 मात्र)

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– 02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–282–स्वास्थ्य–मांग सं–44–0001–आयुर्वेदिक एवं टक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण–'' कूट सं0–0001.01.01–वेतन, 0001.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04–मकान किराया भत्ता, 0001.01.06– चिकित्सा भत्ता, 0001.13.04–विद्युत प्रभार एवं 0001.14.01–किराया महसूल एवं कर विपत्र कोड 44–2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं । जहॉ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहॉ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे । साथ

ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4— वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17—4—98 एवं पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5— राशि की नियामानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6— इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

7— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 11/8
निदेशक ।

ज्ञापांक— सं0—6/निदे0आयु0चि0के0(संधा0)—01—01/2017— 50 पटना, दिनांक— 01.08.17

प्रतिलिपि :(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, रोहतास/उप विकास आयुक्त, रोहतास/ कोषागार पदाधिकारी, रोहतास /संबंधित उप कोषागार पदा0/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, रोहतास/ बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0टी0मेनेजर,अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 11/8